दिनांक 02.09.2015 को कृषि निदेशक, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आहूत जनशिकायत की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति पंजी में संधारित।

1– बैठक में निदेशित किया गया कि जिन प्रशाखा/कोषांगों में जनशिकायत के अत्यधि मामलें लंबित हों उन्हें ही समीक्षा बैठक में बुलाया जाय तथा जिनका 10 से कम परिवाद/पत्र लंबित हो वे बैठक में भाग नहीं लेंगें। अत्यधिक लंबित मामले वाले प्रशाखा/कोषांगों के प्रभारी पदाधिकारियों को विशेष ध्यान देकर निष्पादन एक सप्ताह के अन्दर सुनिश्चित करवाने हेतु निदेश दिया गया।

2– जिन–जिन प्रशाखा/कोषांग/अधीनस्थ कार्यालयों में माननीय मुख्यमंत्री के फेसबुक से प्राप्त आवेदन/परिवाद लंबित हों उन्हें निदेशित किया गया कि प्राथमिकता के आधार पर 24 घंटे के अन्दर निष्पादन सुनिश्चित कराये जॉए। विदित हो कि माननीय मुख्यमंत्री के फेसबुक से कुल 07 मामलें निष्पादन हेतु लंबित है। साथ ही प्रधानमंत्री के बेवसाईट से प्राप्त लंबित मामलें 12 हैं जिन्हें संबंधित प्रशाखा/कोषांग के प्रभारी पदाधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया गया।

3– बैठक में यह भी निदेश दिया गया कि पुराने मामले जिन्हें पूर्व में ही निष्पादित किये जा चुके है परंतु सचिवालय एवं कृषि निदेशालय के लंबित सूची में अंतर आ रहा हो, वैसी स्थिति में एक रूपता के निमित्त यह आवश्यक है कि सभी प्रशाखा/कोषांग/अधीनस्थ कार्यालयों को उपलब्ध कराये गये सूची के अनुसार शीघ्र निष्पादित पत्र (ATL) जनशिकायत कोषांग, कृषि निदेशालय को उपलब्ध करायें जॉए। ज्ञातव्य हो कि अभी तक 183 (नया/पुराना) परिवाद/पत्र का निष्पादन प्रशाखा–13 को उप सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी कृषि विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराया जा चुका है।

4– प्रत्येक महीने के प्रथम बुधवार को छोड़कर शेष सभी बुधवारों को पूर्व की भॉति संयुक्त निदेशक (पौ०सं०) मुख्यालय, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में जनशिकायत की बैठक 4.00 बजे अपराह्न में नियमित रूप से होगी।

5– प्रशाखा– 6 एवं 7 के प्रभारी पदाधिकारी श्रीमति निवेदिता राय, उप निदेशक (प्रशासन), कृषि निदेशालय को निदेशित किया गया कि शीघ्र लंबित मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करवाया जाए। ज्ञातव्य हो कि कुल 253 लंबित मामलें में से श्रीमति राय के स्तर पर कुल 106 मामलें निष्पादन हेतु लंबित है।

6– सभी प्रशाखा/कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि जनशिकायत से संबंधित निष्पादन की प्रति निश्चित रूप से साप्ताहिक बैठक में उपलब्ध कराई जाय।

7— प्रायः देखा जाता है कि जनशिकायत के परिवाद/पत्र जो कृषि निदेशक के कोषांग को जनशिकायत पदाधिकारी श्री राजाराम चौधरी (प्रशाखा—13) से प्राप्त होता है, सीधे प्रशाखा/कोषांग को उपलब्ध करा दिये जाते हैं जिसके कारण सम्बन्धित मामलों का अनुश्रवण जनशिकायत कोषांग कृषि निदेशालय द्वारा नहीं हो पाती है एवं वैसे पत्रों के निष्पादन के बावजूद भी जनशिकायत पदाधिकारी, कृषि विभाग की सूची में सूचीबद्ध रह जाता है। एतद प्रशाखा/कोषांग के प्रभारी पदाधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि इस संदर्भ में की गयी कार्रवाई से जनशिकायत कोषांग, कृषि निदेशालय को भी सूचित किया जाय तथा निष्पादन की प्रति जनशिकायत कोषांग, कृषि निदेशालय को भी उपलब्ध करायी जाय ताकि जनशिकायत पदाधिकारी, कृषि विभाग की लंबित सूची से हटवाया जा सके।

(बी० कार्तिकेय)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4405 /कृ0, पटना, दिनांक 07-9-15

प्रतिलिपि :— प्रधान सचिव, कृषि विभाग के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार के आप्त सचिव/उप निदेशक (प्रशासन)/ अपर निदेशक (शष्य)/संयुक्त निदेशक (पौ०सं०) मुख्यालय—सह—प्रभारी पदाधिकारी, जनशिकायत कोषांग, कृषि निदेशालय/संयुक्त निदेशक (रसायन) गुण नियंत्रण/संयुक्त निदेशक (शष्य) फसल एवं प्रक्षेत्र/संयुक्त निदेशक (शष्य) शिक्षा/संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान/संयुक्त कृषि निदेशक (सांख्यिकी)/संयुक्त निदेशक (अभियंत्रण)—सह—प्रभारी पदाधिकारी, कृषि यांत्रिकीकरण/संयुक्त निदेशक (रसायन) मिट्टी जाँच प्रयोगशाला/संयुक्त निदेशक (रसायन) कम्पोस्ट एवं बायोगैस/संयुक्त निदेशक (शष्य) योजना/संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्य) उपादान पर्वतन उर्वरक एवं कीटनाशी/उप कृषि निदेशक (सूचना)—सह—प्रभारी आई०टी०/उप निदेशक (शष्य) बीज/प्रभारी पदाधिकारी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/उप निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र—सह—प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन/प्रभारी पदाधिकारी, एन0एम0वो0वो0पी0 (NMOOP)/उप निदेशक (शष्य) तेलहन—सह—प्रभारी पदाधिकारी, दियारा विकास/जन शिकायत पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी (सभी) कृषि निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

(29)
08-9-2015